

आअदालत -सहायक कलक्टर मुकाम - तारानगर

बुधराम आदि बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा -वाद पत्र नं. 276 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में ता
12-12-2025	<p>ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सारायण में कृषि भूमि खाता सं. 486 के ख. नं. 451/274 तादादी 1.8335 हैक्टेयर, एवं खाता सं. 173 के ख.नं. 450/201 तादादी 6.9927 हैक्ट., रोही ग्राम सारायण भूमि का आपसी सहमति से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत विभाजन मय नजरी नक्शा के तहसीलदार तारानगर के समक्ष पेश किया गया। भूमि वितिय संस्थान के रहन दर्ज होने के कारण विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा को प्रेषित किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर के पत्र क्रमांक भू.अ./ग्रा.से.शि./25/ दिनांक 25.09.2025 से प्राप्त प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के उक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम से सहखातेदारी दर्ज है तथा सभी सहखातेदार इकरारनामा खाता विभाजन करने हेतु सहमत है। उक्त भूमि बैंक के पक्ष में रहन दर्ज है। वितिय संस्थान के अनुपस्थित रहने पर उनके वितिय हित सुरक्षित रखते हुए तहसीलदार तारानगर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./ग्रा.से.शि./25/ दिनांक 25.09.2025 के अवलोकन उपरान्त विवादित कृषिभूमि का विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खाता सं. 486 के ख.नं. 451/274 तादादी 1.8335 हैक्टेयर, एवं खाता सं. 173 के ख.नं. 450/201 तादादी 6.9927 हैक्ट., रोही ग्राम सारायण का खाता विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि ख.नं. 450/201 मीन तादादी 1.7482 हैक्टेयर, ख.नं. 451/274 मीन तादादी 0.4584 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 2.2066 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग नारंगी से दर्शाया गया है जो बुधराम पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी सारायण के हक हिस्सा में, ख. नं. 450/201 मीन तादादी 1.7482 हैक्टेयर, ख.नं. 451/274 मीन तादादी 0.4584 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 2.2066 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग आसमानी से दर्शाया गया है जो शंकरलाल पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी सारायण के हक हिस्सा, ख.नं. 450/201 मीन तादादी 3.4963 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल तादादी 3.4963 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया गया है जो साजनराम पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी सारायण के हक हिस्सा में,</p>	

Jayender

आअदालत -सहायक कलक्टर मुकाम - तारानगर

बुधराम आदि बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा -वाद पत्र नं. 276 सन् 2025

हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
<p>ख.नं. 451/274 मीन तादादी 0.4552 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल तादादी 0.4552 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग काला से दर्शाया गया है जो संदीप पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी माहेला ढाणी, रावतसर जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा में एवं ख.नं. 451/274 मीन तादादी 0.4615 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल तादादी 0.4615 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग पीला से दर्शाया गया है जो सुभाष पुत्र साजनराम जाति मेघवाल निवासी सारायण के हक हिस्सा में रहेगी। जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। तहसीलदार तारानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसार खातेदारों का अलग से खाता विभाजन करते हुए दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व नक्शों में अमल दरामद करें। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./ग्रा.से.शि./25/ दिनांक 25.09.2025 तथा नकल नक्शा व पटवारी रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार तारानगर को तहरीर जारी हो।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Dayendra</i></p>	

# डिक्री व मुकदमे इब्तादाई

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix 'D')

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर

पीठासीन अधिकारी :- राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान बुधराम आदि बनाम राजस्थान सरकार  
दावा अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 2.7.6 वर्ष 2025

यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी बुधराम, शंकरलाल, साजनराम, संदीप, सुभाष मिनजानिव मुदई एवं राजपैरोकार मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता तथा अतः वाद वादीगण बरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि खाता सं. 486 के ख.नं. 451/274 तादादी 1.8335 हैक्टेयर, एवं खाता सं. 173 के ख.नं. 450/201 तादादी 6.9927 हैक्ट., रोही ग्राम सारायण का खाता विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि ख.नं. 450/201 मीन तादादी 1.7482 हैक्टेयर, ख.नं. 451/274 मीन तादादी 0.4584 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 2.2066 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग नारंगी से दर्शाया गया है जो बुधराम पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी सारायण के हक हिस्सा में, ख. नं. 450/201 मीन तादादी 1.7482 हैक्टेयर, ख.नं. 451/274 मीन तादादी 0.4584 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 2.2066 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग आसमानी से दर्शाया गया है जो शंकरलाल पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी सारायण के हक हिस्सा, ख.नं. 450/201 मीन तादादी 3.4963 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल तादादी 3.4963 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया गया है जो साजनराम पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी सारायण के हक हिस्सा में, ख.नं. 451/274 मीन तादादी 0.4552 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल तादादी 0.4552 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग काला से दर्शाया गया है जो संदीप पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी माहेला ढाणी, रावतसर जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा में एवं ख.नं. 451/274 मीन तादादी 0.4615 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल तादादी 0.4615 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग पीला से दर्शाया गया है जो सुभाष पुत्र साजनराम जाति मेघवाल निवासी सारायण के हक हिस्सा में रहेगी। जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

बीज ..... मुबलिंग ..... वावत ..... खर्चा इस मुकदमें के मुद  
सूद व शरह ..... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .....  
को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 1.2 - माह 1.2 सन 2025  
को जारी की गई।

*Rajendra*  
(राजेन्द्र कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुकमनामा		
वावत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

मुहर